संख्याः नि0 1510/3–5 (ग्रामीण इको पर्यटन)

प्रेषक,

जीवन चन्द्र जोशी,
वित्त नियंत्रक,
वन विभाग, उत्तराखण्ड।

सेवा में,

मुख्य कोषाधिकारी/
वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी,
रामनगर (उत्तराखण्ड)।

देहरादून दिनांक, 04 फरवरी, 2017।

विषय– **वित्तीय वर्ष 2016–17 में वन विभाग के अनुदान संख्या–27 के आयोजनागत पक्ष की राज्य सैक्टर योजना "ग्रामीण इको पर्यटन योजना" के अन्तर्गत कोषागार मदों में बजट का आवंटन।**

संदर्भ– शासनादेश सं0 166/X-2-2017-12(89)/2015 दिनांक 23 जनवरी, 2017 **(छायाप्रति संलग्न)**।

महोदय,

सन्दर्भित शासनादेश एवं उसके साथ संलग्न **अलॉटमेंट आई डी–S1701270185** दिनांक 20.01.2017 से वित्तीय वर्ष 2016–17 में वन विभाग के अनुदान संख्या–27 के आयोजनागत पक्ष की राज्य सैक्टर योजना **"2406–01–800–51–00–ग्रामीण इको पर्यटन योजना"** के अन्तर्गत **कोषागार मदों** में अवमुक्त धनराशि **₹ 3,50,000/– (₹ तीन लाख पचास हजार मात्र)** का ऑन लाइन आवंटन विभाग के सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को **निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों** के अधीन जारी करते हुये **प्रिन्ट आउट की हस्ताक्षरित प्रति** संलग्न कर प्रेषित की जाती है। कृपया तदनुसार सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों से कोषागार मदों में प्राप्त बिलों का नियमानुसार भुगतान करने का कष्ट करें।

1– धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 847/XXVII(1)/2015 दिनांक 26.07.2016 में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाये।

2– अवमुक्त की जा रही धनराशि से मात्र योजना से सम्बन्धित कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें एवं ऐसे कार्य न कराए जिन हेतु राज्य सैक्टर में अलग से योजना उपलब्ध है, यदि योजना से इतर कार्यो को कराना पाया गया तो इस हेतु सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होगा।

3– कार्यो को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत/कराया न हो।

4– धनराशि का आहरण एवं व्यय मासिक आधार पर किश्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जायेगा।

5– बजट प्राविधान किसी भी लेखा शीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाये और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाये।

6– योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहां आवश्यकता हो सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त करने उपरान्त ही कार्य किये जाये।

7– आवंटित धनराशि के व्यय में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–7 (वन लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), शासनादेश संख्या 177/XXXVII(7)/2008 दिनांक 01 मई 2008, **उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमैंट) नियमावली 2008, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमैंट) (संशोधन) नियमावली 2015,** सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सु–संगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये सक्षम स्तर से चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु निर्धारित/अनुमोदित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा आवंटित/जारी धनराशि का नियमानुसार उपयोग किया जाये।

8– निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृतियों से कराये जाने वाले कार्यो की सूचना सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जन सेवा विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 638/XXX-1-12(25)/2011 दिनांक 08.12.2011 द्वारा अपेक्षित राज्य सरकार की वेबसाईट www.ua.nic.in तथा विभाग की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से प्रकाशित की जायेगी और उन्हें समय–समय पर अद्यावधिक किया जायेगा।

9– आवंटित/जारी धनराशि के सापेक्ष मासिक व्यय का विवरण **निर्धारित प्रपत्र बी.एम.–4** में कार्यालयवार भरकर बिलम्बतम प्रत्येक माह की **पहली तारीख तक** अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून को भेजा जायेगा।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(जीवन चन्द्र जोशी)
वित्त नियंत्रक

संख्याः नि0 1510 (1)/3–5 (ग्रामीण इको पर्यटन) तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड,ओबराय मोटर्स बिल्डिंग,सहारनपुर रोड,माजरा, देहरादून।
2– महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस, सी–1/105, इन्दिरानगर, देहरादून।
4– अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2 एवं अपर सचिव, वित्त (अनुभाग–4),उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
6– प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7– **मुख्य वन संरक्षक, ईको टूरिज्म, उत्तराखण्ड** को उनके पत्रांक 591/3–2(5) दिनांक 20 मई, 2016 के क्रम में।
8– मुख्य वन संरक्षक कुमांऊँ, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
9– वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
10– आहरण वितरण अधिकारी–प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर। कृपया उक्त **पैरा–1 से 9** में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करते हुये **मुख्य वन संरक्षक, ईको टूरिज्म, उत्तराखण्ड** से दिशा–निर्देश प्राप्त करते हुये आवंटित/जारी धनराशि का नियमानुसार उपयोग सुनिश्चित किया जाये।
11–उप वन संरक्षक, आइ0टी0सैल कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटित/जारी धनराशि को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार

(जीवन चन्द्र जोशी)
वित्त नियंत्रक

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20162017

Principal Chief Conservator of Forest (4260)

आवंटन पत्र संख्या - Ni-1510/3-5 **अलोटमेंट आई डी - H1702270292**

अनुदान संख्या - 027 **आवंटन पत्र दिनांक -04-Feb-2017**

DDO Name - DFO Ramnagar Forest DivisionRamnagar (4260) , Treasury - Ramnagar (3617)

1: **लेखा शीर्षक** 2406 - वानिकी तथा वन्य जीवन 01 - वानिकी

800 - अन्य व्यय

51 - ग्रामीण ईको पर्यटन योजना

00 - .

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
16 - वयावसायकि तथा वशिष सेवा	0	100000	100000
18 - परकाशन	0	50000	50000
19 - वज्ञिापन, बक्रिी और वख्यि	0	50000	50000
42 - अनय वयय	0	100000	100000
44 - परशक्षिण वयय	0	50000	50000
	0	**350000**	**350000**

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - 350000